न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

(1) सरपंच, ग्राम पंचायत, दांतराई, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

(2) श्री डायालाल पुत्र खुशालचन्द जी जैन, निवासी- दांतराई, तह. रेवदर, जिला-सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 45/2015

''निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994''

उपस्थिति:

1. प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह देवड़ा, अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 20 दिसम्बर, 2017**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर के पत्र क्रमांक:पंसरे/पंचायत/2015/172 दिनांक 05.10.2015 के द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा समान चतुर्दशी एवं समान क्षेत्रफल 1737 वर्गफीट भूमि का अप्रार्थी श्री डायालाल पुत्र खुशालचन्द जी जैन व श्रीमती भागुबेन पत्नि खुशालचन्द जी जैन, निवासी- दांतराई के संयुक्त नाम में जारी दो अलग अलग कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र (एक प्रमाण पत्र पर क्रमांक व दिनांक अंकित नही है) एवं प्रमाण पत्र दिनांक 05.7.2007 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण एवं श्रीमती भागुबेन पत्नि खुशालचन्द जी जैन के विरुद्ध इस न्यायालय में इस बिनाय पर प्रस्तुत किया गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही से श्रीमती धापु देवी, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा आबादी भूमि में कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में प्रस्तुत शिकायत की जांच पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही से करवाई गई। जांच में शिकायत सही पाई गई तथा उक्त दोनों कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र अवैध व अनियमित पाये गये। प्रथम जारी प्रमाण पत्र की चतुर्दशी में पूर्व में सवाजी जैताजी का थाला, पश्चिम में मीठालाल पुत्र जवान जी जैन का मकान, उत्तर में आम रास्ता में दरावाजा एक व दक्षिण में पुरोहित कलाजी पुत्र धुडाजी का मकान एवं कुल क्षेत्रफल 1737 वर्गफीट बताया गया है तथा दूसरे प्रमाण पत्र दिनांक 05.7.2007 की चतुर्दशी में पूर्व में सवाजी जैताजी का थाला, पश्चिम में मीठालाल जवान जी जैन का मकान, उत्तर में आम रास्ता में दरवाजा एक व दक्षिण में पुरोहित कलाजी धुडाजी का मकान व कुल क्षेत्रफल 1737 वर्गफीट बताया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 व नियम 1996 के अर्न्तगत इस प्रकार का प्रमाण पत्र या नजरी नक्शा जारी करने का कोई प्रावधान नही है। ।

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 डायालाल की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह देवड़ा उपस्थित हुये। जबकि अप्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत, दांतराई को नोटिस तामिल होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत, दांतराई की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ एवं न ही ग्राम पंचायत, दांतराई की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) प्रकरण में अप्रार्थी डायालाल के अधिवक्ता ने इस न्यायालय में दिनांक 01.4.2016 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने इस निगरानी प्रार्थना पत्र अप्रार्थी डायालाल पुत्र खुशालचन्द जी जैन एवं श्रीमती भागुबेन पत्नि खुशालचन्द जी जैन को पक्षकार बनाया गया है, जबकि श्रीमती भागुबेन पत्नि खुशालचन्द जी जैन, निवासी- दांतराई की मृत्यु दिनांक 10.10.2013 को हो चुकी है, इस प्रकार प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा मृत व्यक्ति के विरुद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जावे।

प्रकरण में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर के पत्र क्रमांक:पंसरे/पंचायत /2016/199 दिनांक 10.5.2016 के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि प्रकरण में श्रीमती भागुबेन पत्नि खुशालचन्द जी जैन, निवासी- दांतराई को सहवन से पक्षकार बनाया गया है, श्रीमती भागुबेन का एक मात्र विधिक उत्तराधिकारी श्री डायालाल पुत्र स्व. खुशालचन्द जी जैन है जो इस प्रकरण में पूर्व से ही पक्षकार है, इसलिय श्रीमती भागुबेन का नाम इस प्रकरण से हटाया जावे।

उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों पर इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई पारित आदेश दिनांक 11.12.2017 के अनुसार अप्रार्थी डायालाल पुत्र खुशालचन्द जी जैन, निवासी- दांतराई की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को खारिज किया गया एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर श्रीमती भागुबेन पत्नि स्व. खुशालचन्द जी जैन का नाम इस प्रकरण से हटाने जाने के आदेश पारित किये गये।

(4) प्रकरण में अंतिम बहस हेतु नियत दिनांक 18.12.2017 को प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी डायालाल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी डायालाल के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर ने यह निगरानी प्रकरण अप्रार्थी डायालाल के विरुद्ध गलत रुप से प्रस्तुत किया है। विवादित भूमि ग्राम पंचायत की भूमि है जिसके संबंध में फौजदारी मुकदमा भी हुआ है। विवादित भूमि से अप्रार्थी डायालाल का कोई लेना देना नही है तथा न ही अप्रार्थी डायालाल ने विवादित भूमि का उपयोग व उपभोग किया है। अप्रार्थी डायालाल के पिता खुशालचन्द जी नाम से दो पट्टेशुदा भूखण्ड आये हुये है। विवादित भूमि का कब्जा प्रमाण पत्र अप्रार्थी डायालाल को जारी होने की जानकारी अप्रार्थी डायालाल को नही है, इसलिये उक्त कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्रों को खारिज किया जावे या बहाल रखा जावे तो अप्रार्थी डायालाल को कोई आपत्ति नही है।

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(5) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, दांतराई की तत्कालीन सरपंच द्वारा श्री डायालाल पुत्र स्व. खुशालचन्द जी एवं श्रीमती भागुबेन पत्नि स्व. खुशालचन्द जी, जाति- जैन, निवासी- दांतराई के नाम से दो प्रमाण पत्र इस आशय के जारी किये गये है कि श्री डायालाल पुत्र स्व. खुशालचन्द जी एवं श्रीमती भागुबेन पत्नि स्व. खुशालचन्द जी, जाति- जैन, निवासी- दांतराई के पुश्तैनी कब्जे भोगवटे एवं मालकी का आवासीय भूखण्ड ग्राम दांतराई की आबादी भूमि में क्षेत्रफल 1737 वर्गफीट का आया हुआ है जो इनके पुश्तैनी कब्जे मालकी का है। उक्त दोनों प्रमाण पत्र में भूखण्ड की अंकित चतुर्दशी में उत्तर दिशा में आम रास्ता में दरवाजा एक, दक्षिण में पुरोहित कलाजी धुडाजी का मकान, पूर्व में सवाजी जैताजी का थाला व पश्चिम में मीठालाल जवानजी जैन का मकान होना अंकित किया है। उक्त जारी दोनों प्रमाण पत्रों में से एक प्रमाण पत्र पर प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक अंकित नही है एवं दूसरे प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक 05.7.2007 अंकित की हुई है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान पचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अर्न्तगत पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में आबादी भूमि कब्जे भोगवटे की होने के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने अथवा आबादी भूमि का कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नही है। यदि किसी व्यक्ति का पंचायत की आबादी भूमि में कब्जे और स्वत्व का दावा न्यायसंगत है तो राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत प्रचलित बाजार दर अनुसार राशि वसूल कर संबंधित भूमि का पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का पंचायत की आबादी भूमि में पुराना आवासीय गृह बना हो तो राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अर्न्तगत ऐसे पुराने आवासीय गृहों के विनियतिकरण किये जाने का प्रावधान है। इससे, यह स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अनुसार ग्राम पंचायत को किसी व्यक्ति के पक्ष में आबादी भूमि का कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नही है।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, दांतराई के तत्कालीन सरपंच द्वारा अप्रार्थी डायालाल पुत्र खुशालचन्द जी जैन व श्रीमती भागुबेन पत्नि खुशालचन्द जी जैन, निवासी- दांतराई के पक्ष में क्षेत्रफल 1737 वर्गफीट भूमि पुश्तैनी एवं कब्जे भोगवटे की होने के संबंध में जारी प्रमाण पत्रों (एक प्रमाण पत्र पर दिनांक अंकित नही है एवं दूसरे प्रमाण पत्र पर दिनांक 05.7.2007 अंकित है) को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही